राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

प्रगति प्रतिवेदन
2015-16

KHADI
राजस्थान खादी
RAJASTHAN

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

प्रवृत्तियां

एवं

प्रगति

2014–2015

एवं

2015–16

(दिसम्बर, 2015 तक)

प्रवृत्तियां एवं प्रगति 2015–16

राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अप्रेल, 1955 में किया गया। बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 12 सदस्य होते है, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते है जिसमे कम से कम 8 गैर सरकारी सदस्य होते है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।

बोर्ड द्वारा कर्त्तव्यों के पालन एवं मंत्रणा देने के लिये निम्नांकित स्थाई समितियों का गठन किया जाता है:–

1. कार्यकारिणी समिति
2. स्थाई अर्थ समिति
3. चयन सेवा समिति

तदर्थ समितियों के गठन का भी प्रावधान है। आवश्यकतानुसार समय समय पर ऐसी समितियां विभिन्न कार्यो के लिये गठित की जाती हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था :

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 8 (क) एवं 9 के अन्तर्गत सचिव तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

बोर्ड का प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार है:–

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का संगठनात्मक ढाँचा

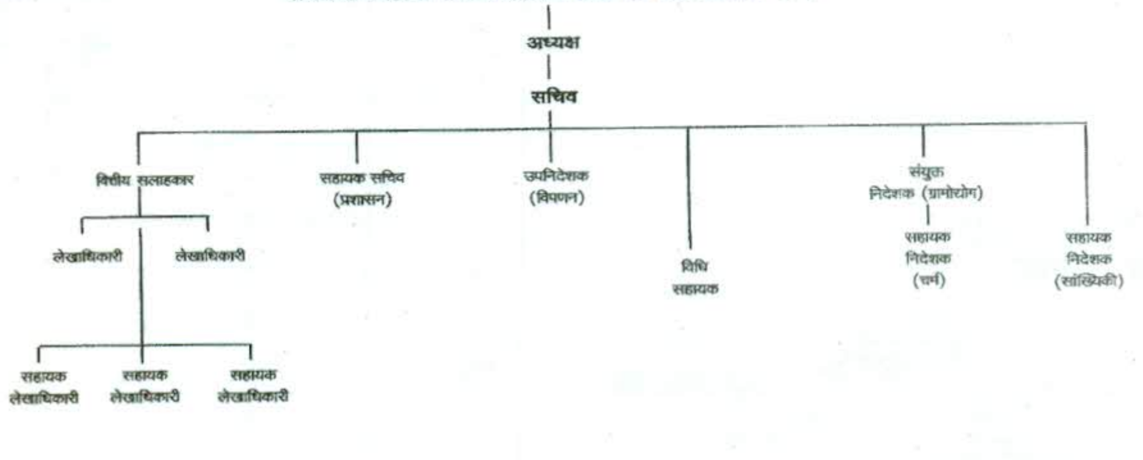

संचालक मण्डल
बोर्ड के कुल सदस्य–12
(1) पदेन सदस्य–4
(2) गैर सरकारी सदस्य–8

बोर्ड के व्यवसायिक केन्द्र (4)
1. 'ग्राम्या' हैण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम, पांच बत्ती, जयपुर
2. 'संकुल' मानसरोवर, जयपुर
3. ऊन अनुभाग, बाड़मेर
4. ऊनी उत्पत्ति केन्द्र, बीकानेर

प्रशिक्षण केन्द्र
1. प्रशिक्षण केन्द्र, पुष्कर (अजमेर)
2. प्रशिक्षण केन्द्र, सांगानेर ('संकुल' मानसरोवर, जयपुर)
3. प्रशिक्षण केन्द्र, माउण्ट आबू (सिरोही)

बोर्ड के उद्देश्य एवं कार्य :

1. खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाना।
2. कार्यक्रम संगठित करना और उनकी क्रियान्विति करना।
3. निम्न आय वर्ग के लोगों एवं कारीगरों को खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
4. कारीगरों को प्रशिक्षण देना।
5. कच्चे माल की व्यवस्था तथा तैयार माल का विपणन करना।
6. कारीगरों में सहकारी भावना को विकसित करना, आदि।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण :

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	सचिव	1	1	–
2	मुख्य लेखाधिकारी	1	1	–
3	संयुक्त निदेशक	1	–	1
4	उप निदेशक(खादी / ग्रामो.)	4	3	1
5	उप निदेशक(विपणन)	1	–	1
6	सहायक सचिव(प्रशासन)	1	1	–
7	सहायक निदेशक(चर्म)	1	1	–
8	लेखाधिकारी	2	1	1
9	निजी सहायक अध्यक्ष महो.	1	–	1
10	सहायक निदेशक(सांख्यिकी)	1	–	1
11	सहायक लेखाधिकारी	3	–	3
12	सहायक निदेशक(खादी)	3	1	2
13	जिला उद्योग अधिकारी	6	2	4
14	कार्यालय अधीक्षक	1	–	1
15	निरीक्षक सहकार	8	2	6
16	लेखाकार	13	4	9
17	विधि सहायक	1	–	1
18	सांख्यिकी सहायक	3	3	–
19	कनिष्ठ लेखाकार	10	9	1
20	निरीक्षक सह अंकेक्षक	10	9	1
21	कार्यालय सहायक	4	1	3
22	शीघ्र लिपिक	5	5	–
23	संगठक	2	1	1
24	जिला उद्योग निरीक्षक	12	7	5

25	पर्यवेक्षक प्रथम	134	93	41
26	वरिष्ठ लिपिक	24	18	6
27	कनिष्ठ लिपिक	38	33	5
28	टेलीफोन ऑपरेटर	1	1	–
29	वाहन चालक	6	6	–
30	मैकेनिक प्रथम	2	2	–
31	जमादार	4	1	3
32	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	44	40	4
	योग	**348**	**246**	**102**

खादी कार्यक्रम :

राज्य में प्रमुख रूप से ऊनी एवं सूती खादी उत्पादन होता है। राजस्थान में ऊनी खादी के उत्पादन का विशाल क्षेत्र है। यहां पर देश के कुल उत्पादन की लगभग 45 प्रतिशत ऊन उत्पादित होती है। वर्ष 2014–2015 के अन्त तक खादी क्षेत्र में राज्य में 223 संस्था/समितियों को अनुदानित किया गया है। वर्तमान में कार्यरत खादी संस्था/समितियों की संख्या 144 है ।

खादी क्षेत्र में रोजगार के विषय को दृष्टिगत रखते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना में "फैशन फॉर डवलपमेंट" ए न्यू खादी इनिशिएटिव योजना प्रारंभ की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य (1) वर्ष पर्यन्त 250–300 दिवसों तक कत्तिन/बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराना, (2) कत्तिन/बुनकरों की दैनिक मजदूरी को करीब दो गुनी से चार गुनी तक बढाना, (3) गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन, (4) कत्तिन/बुनकरों के कार्यस्थल की परिस्थितियों में सुधार करना है।

उक्त योजना में खादी के कलस्टर स्थापित किये जाकर प्रतिवर्ष 2500 कत्तिनों/बुनकरों/कार्यकर्त्ताओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से नवसृजित रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक 13 खादी कलस्टर स्थापित किये जा चुके है।

उक्त योजना की समय–समय पर समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि इस योजना में कार्यशील पूंजी का प्रावधान नहीं होने के कारण योजना के उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहे है। अतः वित्तीय वर्ष 2011–12 में इस योजना को परिवर्तित कर लघु खादी परियोजना शुरू की गयी। इस योजना में कार्यशील पूंजी का प्रावधान किया हुआ है। इसके अन्तर्गत एकल संस्था को लाभान्वित किया जाता है। प्रत्येक संस्था को रु. 35.00 लाख का अनुदान उपलब्ध कराये जाने का योजना में प्रावधान है। वर्ष 2013–14 में इस योजना मे 5 संस्था/समितियो को लाभान्वित करते हुए प्रत्येक संस्था को राशि रु. 26.32 लाख अनुदान एवं राशि रु 8.68 लाख कार्यकारी पूंजी ऋण के रुप मे उपलब्ध कराया गया है तथा वर्ष

2014–15 में योजना में आंशिक संशोधन करते हुए प्रत्येक संस्था को पूंजीगत व्यय हेतु राशि रु. 15.00 लाख का अनुदान एवं राशि रु. 10.00 लाख कार्यकारी ऋण उपलब्ध कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए निम्न योजना खादी क्षेत्र के लिए क्रियान्वित की जा रही है :–

1. लघु खादी परियोजना

वर्ष 2015–16 में 4 खादी संस्थाओं को पूर्व वर्ष की भाँति ही लाभान्वित किया जाने का प्रावधान रखा हुआ है। इसमें प्रति संस्था को राशि रू. 15.00 लाख बतौर अनुदान एवं राशि रू. 10.00 लाख कार्यकारी पूंजी के रूप में बतौर ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रति संस्था राशि रू. 25.00 लाख एवं कुल बजट प्रावधान 100.00 लाख है। गुणवत्तायुक्त खादी का उत्पादन, कत्तिन बुनकरो के परिश्रमिक में वृद्धि, कत्तिन बुनकरो को सुविधायुक्त कार्य स्थल व उचित वातावरण इत्यादि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। राशि रू. 50.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृतिया जारी करते हुए 2 संस्थाओं को राशि रू. 30.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

आर्थिक सहायताः–

खादी संस्था/समितियों को विभिन्न योजनाओं में गत 3 वर्षों में बोर्ड द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष		लाभान्वित संस्था /समितियों की संख्या	वितरित राशि (लाख रू. में) ऋण	अनुदान	योग
2013–2014 खादी एक नई पहल					
1.	लघु खादी परियोजना	5	43.40	131.60	175.00
2.	खादी विकास फण्ड	32	250.00	–	250.00
3.	कताई बुनाई शैड योजना	36	–	180.00	180.00
	योग		**293.40**	**311.60**	**605.00**
2014–2015 खादी एक नई पहल					
1.	लघु खादी परियोजना	7	60.00	103.87	163.87
2.	खादी विकास फण्ड	35	240.07	–	240.07
3.	कताई बुनाई शैड योजना	5	–	25.00	25.00
	योग		**300.07**	**128.87**	**428.94**
2015–2016 खादी एक नई पहल					
1.	लघु खादी परियोजना (दिसम्बर, 15 तक)	2	–	30.00	30.00
	योग		–	**30.00**	**30.00**

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार की योजनान्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरणः–

वर्ष	वितरित राशि (लाख रू. में)		
	अनुदान	ऋण	योग
2013–14			
ब्याज सहायता क्षमता प्रमाण पत्र नवीनीकरण	–	975.53	975.53
2014–15			
ब्याज सहायता क्षमता प्रमाण पत्र नवीनीकरण	–	967.00	967.00
2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)			
ब्याज सहायता क्षमता प्रमाण पत्र नवीनीकरण	–	1505.80	1505.80

उत्पादन एवं रोजगार :

राज्य में वर्ष 2015–16 में खादी क्षेत्र में वित्त पोषित संस्था/समितियों द्वारा किये गये उत्पादन एवं रोजगार प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख रू. में)			
	ऊनी खादी	सूती खादी	योग	रोजगार सं.(स्तर)
2013–14	1684.94	2965.62	4650.56	20962
2014–15	1844.45	2945.49	4789.94	19940
2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)	647.64	1787.26	2434.90	7624

वर्ष 2014–15 का जिलेवार उत्पादन एवं रोजगार विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है।

खादी बिक्री/प्रोत्साहन कार्यक्रम :

1. रिबेट :–

खादी की बिक्री को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से गांधी जयन्ती व नेहरू जयन्ती के अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्पादन पर विपणन विकास सहायता योजना अन्तर्गत खादी की बिक्री पर छूट प्रदान की जाती है तथा राज्य सरकार द्वारा भी खादी बिक्री पर विशेष छूट दी जाती है।

वर्ष 2013–2014 में राज्य सरकार द्वारा सूती खादी पर 10 प्रतिशत, ऊनी खादी पर 10 प्रतिशत एवं पोली व रेशमी खादी पर 5 प्रतिशत रिबेट स्वीकृत की गई। वर्ष 2013–2014 में रिबेट अवधि के दौरान 44.72 करोड रू. की फुटकर बिक्री हुई है।

वर्ष 2014–2015 में राज्य सरकार द्वारा सूती खादी पर 10 प्रतिशत, ऊनी खादी पर 10 प्रतिशत एवं पोली व रेशमी खादी पर 5 प्रतिशत रिबेट स्वीकृत की गई। वर्ष 2014–2015 में रिबेट अवधि के दौरान 46.63 करोड रू. की फुटकर बिक्री हुई है।

वर्ष 2015–16 में राज्य सरकार द्वारा 108 कार्यकारी दिवसों के लिए सूती खादी पर 10 प्रतिशत, ऊनी खादी पर 10 प्रतिशत एवं पोली व रेशमी खादी पर 5 प्रतिशत रिबेट स्वीकृत की गई। वर्ष 2015–16 के लिए रिबेट मद में राशि रु. 400.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

2. प्रचार प्रसार :–

राज्य में उत्पादित खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की एक निर्धारित ब्राण्ड के अन्तर्गत बिक्री करने के उद्देश्य से ''राजस्थान खादी'' के ''लोगो'' को लोकार्पित किया जा चुका है, और जिसके अन्तर्गत राज्य में उत्पादित सभी खादी ग्रामोद्योग उत्पादों को ब्राण्डेड करने के प्रयास किये जा रहे है। बैनर, होर्डिंग्स तथा फोल्डर व ब्रोशर एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, एफ.एम. रेडियो चैनल्स, पत्र पत्रिकाओं आदि के द्वारा खादी ग्रामोद्योग उत्पादों एवं योजनाओं का प्रचार प्रसार समय समय पर किया जाता रहा है। ''लोगो'' के साथ साथ खादी ग्रामोद्योग उत्पादों के प्रचार प्रसार हेतु हस्त निर्मित कागज से कैरी बैग्स व ''लोगो'' तथा चरखा चलाती हुई कतिन के चित्र युक्त दूध/ कॉफी मग्स भी बनवाये गये, जिस पर वर्ष 2013–14 में कुल राशि रू. 17.42 लाख का व्यय हुआ। वर्ष 2014–15 में राशि रू. 27.10 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक राशि रु. 15.16 लाख का व्यय हुआ है।

3. खादी भण्डार नवीनीकरण कार्यक्रम :–

राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से सम्बद्ध खादी संस्थाओं द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योग भण्डारों के द्वारा खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री की जाती है। आयोजना बजट वर्ष 2006–07 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग भण्डारों के नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया था। जिसके

अधीन विभिन्न जिलों में वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015) तक 123 खादी ग्रामोद्योग भण्डारों का नवीनीकरण हो चुका है। नवीनीकृत हुये खादी ग्रामोद्योग भण्डारों की वार्षिक बिक्री में औसत रूप से 35 प्रतिशत तक की बढोतरी हुई है। वर्ष 2015–16 में 50.00 लाख का बजट प्रावधान है। जिसके अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग भण्डारों के नवीनीकरण हेतु 8 खादी भण्डारो की स्वीकृतियां जारी करते हुए राशि रू. 14.00 लाख भुगतान किया जा चुका है।

4. खादी ग्रामोद्योग उत्पादों में गुणवत्ता सुधार :–

ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में खादी में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य खादी बोर्ड द्वारा सूती व ऊनी खादी में फैब्रिक के आधुनिक नये डिजाइन तैयार कराये गये और इनसे आधुनिक फैशन के खादी परिधानों के प्रोटोटाइप भी तैयार कराये गये तथा उनका प्रचार प्रसार किया गया। राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलोजी संस्थान से सूती खादी के ग्रीष्मकालीन आधुनिक परिधानों की विशेष श्रृखंला के करीब 60 नमूने तैयार कराये गये तदानुसार 1504 परिधानों का वाणिज्यक उत्पादन कराकर बिक्री हेतु जयपुर स्थित नवीनीकृत चार खादी भण्डारों में लान्च किया गया। वर्ष 2007–08 में आयोजना बजट अध्याधीन स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत फैशन डिजाइनरों से आधुनिक डिजाइन व रंग विन्यास में खादी के परिधानों की श्रृंखला तैयार करवाकर उनके ''लेबल'' के साथ बिक्री हेतु उपलब्ध कराने के क्रम में स्थानीय फैशन डिजाइनरों द्वारा तैयार परिधानों की बिक्री जयपुर में ''ग्राम्या'' खादी भण्डार में प्रारम्भ की गई है। इसी क्रम में अन्य लब्ध–प्रतिष्ठित फैशन डिजाइनर्स के ''लेबल'' अन्तर्गत अन्य नवीन डिजाइन्स के खादी परिधान भी तैयार कराये गये। जिससे कि विशेषकर युवा पीढी में खादी के प्रति रूझान को बढावा मिल सके। वर्ष 2007–08 में श्री राजेश प्रताप सिंह अन्तर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर दिल्ली एवं सुश्री रिबेका डिसूजा अन्तर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर अहमदाबाद से क्रमशः 12 तथा 20 आधुनिक परिधानों के डिजाइन्स के प्रोटोटाइप्स बनवाये गये। उक्त फैशन डिजाइनरों के प्रोटोटाइप्स के सूती व पॉली वस्त्र के 450 परिधानों का उत्पादन कराया जाकर खादी भण्डारों पर बिक्री हेतु उपलब्ध कराया गया है, व राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के माध्यम से ऊनी परिधानों का उत्पादन कराया गया।

बारहवी पंचवर्षीय योजना में खादी पर हैण्डब्लाक प्रिन्टिंग, आधुनिक डिजाईन्स के परिधानों के प्रोटोटाईप्स विकसित कराने का कार्य खादी गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत

करवाया जा रहा है। सूती खादी पर हैण्ड ब्लॉक प्रिन्टिंग का अभिनव कार्यक्रम तत्कालीन सचिव, खादी बोर्ड की प्रेरणा से प्रारम्भ किया गया। वर्ष 2013–14 में डिजाइनर परिधानों यथा जेकिट कोट आदि का निर्माण कराया गया जिन्हें युवा वर्ग द्वारा सराहा गया व काफी पसन्द किया गया । दिसम्बर 2013 में फैशन शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं की खादी परिधानों डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, प्रतियोगिता में 15 संस्थानों के लगभग 151 छात्र/छात्राओ ने भाग लिया। खादी फैब्रिक के प्रोटोटाईप्स तैयार किये गये। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को खादी परिधानों की और आकृर्षित करना है। नवम्बर 2014 से अन्तर्राष्ट्रीय फैशन डिजाईनर सुश्री बी.बी. रसैल, ढाका, बांगलादेश को राज्य सरकार की सहमति से खादी में गुणवत्ता सुधार हेतु फैसीलेटर कम कन्सलटेन्ट के रूप में नियुक्ति किया गया है। सुश्री बी.बी. रसैल द्वारा नवीन रंग विन्यास के फैब्रिक तैयार कराने के साथ–साथ नवीन डिजाईन के परिधान तैयार कराकर उनकी देख–रेख में 26 अप्रैल, 2015 को होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर में फैशन शो आयेाजित किया गया। इसी श्रृंखला में 3 से 05 दिसम्बर, 2015 को हैरिटेज फैशन वीक होटल क्लार्क्स आमेर, जयपुर में आयोजित किया गया।

ग्रामोद्योगी उत्पादों की पैकिंग में सुधार हेतु भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुम्बई में 20 ग्रामोद्योगी इकाइयों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया है, ताकि उत्पादों की पैकिंग को बाजार की मांग के अनुरूप और अधिक आकर्षक बनाया जा सके।

5. **खादी संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं खादी ग्रामोद्योग भण्डारों के बिक्री अभिकर्ताओं आदि को प्रशिक्षण :–**

राज्य में खादी संस्थाओ/समितियों/वित्त पोषित ग्रामोद्योग इकाईयों के पदाधिकारियों और खादी ग्रामोद्योग भण्डारों के बिक्री अभिकर्ताओं को आधुनिक व्यवसायिक प्रबन्धन तथा विपणन प्रबन्धन में लघु प्रशिक्षण दिलवाने हेतु राज्य खादी बोर्ड द्वारा भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) नई दिल्ली की सेवाये ली गयी है। आयोजना बजट अध्याधीन स्वीकृत उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2005–06 से 2014–15 तक 892 बिक्री अभिकर्ताओं एवं पदाधिकारियो को उक्त प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक 70 लक्ष्य के विपरीत 59 व्यक्तियों को आधुनिक विपणन एवं व्यावसायिक प्रबंधन एवं

टेलरिंग स्कील डवलपमेन्ट में खादी संस्थाओं/समितियों/इकाईयों और खादी ग्रामोद्योग भण्डारों के बिक्री अभिकर्ताओं एवं पदाधिकारियों आदि को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है।

6. एक्सपोर्ट प्रमोशन फार खादी एण्ड वी.आई. (अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ) :–

राज्य में उत्पादित खादी /ग्रामोद्योग उत्पादो के अन्तर्राष्ट्रीय प्रर्दशनियों/मेलों में प्रचार प्रसार व बिक्री सवंर्द्धन हेतु वर्तमान पंचवर्षीय योजना में कायरों (इजिप्ट), अदीस अबाबा (इथोपिया), पेरू–चिली (दक्षिणी अमेरिका) व थिम्पू (भुटान), मैक्सिको सिटी (मैक्सिको) में आयोजित प्रर्दशनियो में 13 खादी संस्थाओं/वित्त पोषित ग्रामोद्योग इकाईयों को राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भारत सरकार के उपक्रम इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आरगनाईजेशन व खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से प्रायोजित किया गया। वर्ष 2013–14 में दो खादी संस्थाओं को मिलान (इटली) अर्न्तराष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रायोजित किया गया है। वर्ष 2015–16 में तीन ग्रामोद्योगी इकाईयों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रायोजित किया जाना प्रस्तावित है।

7. हायरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल्स एण्ड एक्सपर्ट्स :–

विषय विशेषज्ञों यथा फैशन डिजाइनर्स, प्रबन्धकीय विशेषज्ञ, कम्प्यूटर फोटो शॉप डिजाईनिंग ऑपरेटर, टैक्सटाईल इंजीनियर आदि की सलाहकारीय सेवाएं राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के माध्यम से रिटेनरशिप के आधार पर अनुबंध अन्तर्गत लिया जाना प्रावधित है। वित्तीय वर्ष 2011–12 व 2012–13 तथा 2013–14 में टैक्सटाईल व फैशन डिजाईनर, एम.बी.ए., टैक्सटाईल इंजीनियर आदि की सलाहकारीय सेवायें राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के माध्यम से ली गई। वित्तीय वर्ष 2014–15 में 1 फैशन डिजाइनर, 1 एम.बी.ए., एवं 1 डिजाईनर टेलर की सेवाऐं एंव वित्तीय वर्ष 2015–16 में 1 फैशन डिजाइनर, 1 एम.बी.ए., एवं 1 डिजाईनर टेलर की सेवाऐं राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ के माध्यम से रिटेनरशिप पर ली गई है।

8. राज्य में प्रदर्शनियों का आयोजन :–

राज्य में विभिन्न जिलों में खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादो के बिक्री सवंर्द्धन हेतु खादी ग्रामोद्योग प्रर्दशनियॉ राज्य खादी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग व राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ एवं खादी संस्थाओं द्वारा परस्पर समन्वय कर आयोजित की जाती है। वर्ष 2013–14 में आयोजित खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों के माध्यम से 748.48 लाख रु. की बिक्री

हुयी है। वर्ष 2014–15 में आयोजित खादी ग्रामोद्योग प्रर्दशनियों में 684.27 लाख रूपये की बिक्री हुई तथा वर्ष 2015–16 में आयोजित 1 खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों के माध्यम से राशि 36.80 लाख रूपये की बिक्री की गई।

प्रशिक्षण केन्द्र

बोर्ड के पास उद्यमियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिये जाने हेतु तीन प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था है इन प्रशिक्षण केन्द्रो के संचालन हेतु राज्य सरकार से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण केन्द्र पुष्कर, (अजमेर) प्रशिक्षण केन्द्र सांगानेर, मानसरोवर, (जयपुर) एवं माऊण्ट आबू (सिरोही) में स्थापित है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से अब तक (मार्च, 2015 तक) क्रमशः 9621, 5531 एवं 3398 उद्यमियों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में पुष्कर (अजमेर) में 1500 मानसरोवर, सांगानेर (जयपुर) में 1100 एवं माऊण्ट आबू (सिरोही) में 600 युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। माह दिसम्बर, 2015 तक 1816 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

बोर्ड के डिजाइन एवं रिसर्च ट्रेनिंग सेन्टर बीकानेर में उत्कृष्ट डिजाइनों के लिए वर्ष 2014–15 में 42 कतिन/बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं वर्ष 2015–16 में प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

ग्रामोद्योग विकास कार्यक्रम

वर्ष 1955 में बोर्ड के गठन के पूर्व राज्य में ग्रामोद्योगों का कोई संगठन नहीं था। बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योगों के विकास का कार्य अपने हाथ में लेने के बाद राज्य में ग्रामोद्योगों का सतत् विकास हो रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग उद्योगो की अनुसूची में से राज्य में वर्ष 1988–89 से पूर्व 18 ग्रामीण उद्योग में राज्य बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही थी।

वर्ष 1988–89 व 1989–90 से नये उद्योगो/सेवाओं को ग्रामोद्योग की सूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप अब वर्तमान में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्देशित

नकारात्मक सूची में वर्णित उद्योगो को छोड़कर सभी ग्रामोद्योग हेतु आर्थिक सहायता दी जा रही है।

वित्तीय स्त्रोत

देश के विभिन्न वर्ग के लोगो को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराना सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है। इसी क्रम में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमन्त्री रोजगार योजना का विलय कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से " **प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** " के नाम से एक नई योजना की शुरूआत 14 अगस्त 2008 से की है। राष्ट्रीय स्तर पर उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को एकमात्र नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है तथा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्र भी इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोगी होंगे। इस योजना के अर्न्तगत उद्यम स्थापित करने के लिये 15 से 35 प्रतिशत तक के विशेष अनुदान का प्रावधान है।

ग्रामोद्योगो के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 के अन्त तक राज्य में कुल स्वीकृत इकाईयां एवं कार्यरत इकाईयां निम्न प्रकार है :–

विवरण	**कुल स्वीकृत इकाईयां**	**कार्यरत इकाईयां**
संस्थायें	341*	27
समितियां	1543*	8
व्यक्तिगत इकाईयां	161424	71993
योग :–	**163308**	**72028**

* राज्य खादी बोर्ड के पूर्व रिकॉर्ड के अनुसार संस्था/समिति की स्वीकृत संख्या एवं कार्यरत संख्या दर्शाई गई है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.)

अर्न्तगत वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक) की उपलब्धि निम्न प्रकार रही है :–

क्र. विवरण	2013–14	2014–15	2015–16 (दिसम्बर 2015 तक)
1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(लक्ष्य)	990	1203	789
2. बैंको को भेजे गये आवेदन पत्र	2242	2224	1330
3. बैंको द्वारा स्वीकृत/वितरित आवेदन पत्र	972	1036	511
4. नोडल बैंको द्वारा वितरित इकाई सं.	525	686	327

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) के अर्न्तगत वर्ष 2014–15 में स्वीकृत इकाईयों की जिलेवार सूचना सारणी संख्या 2 पर सलंग्न है :–

बोर्ड द्वारा वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक) में पी.एम.ई.जी.पी. अर्न्तगत ग्रामोद्योगो को निम्न प्रकार आर्थिक सहायता (मार्जिन मनी) नोडल बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है :–

वर्ष	ग्रामोद्योग को उपलब्ध कराई गई राशि (लाख रू.) मार्जिन मनी/सहा.
2013–14	1191.90
2014–15	1299.32
2015–16 (दिसम्बर 2015 तक)	533.88

उत्पादन एवं रोजगार :–

वर्ष 2008–09 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) नाम से नवीन योजना प्रारंभ हुई जिसके अर्न्तगत, योजना में, वर्ष 2013–14, वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक) में खादी बोर्ड द्वारा स्थापित कराई गई ग्रामोद्योगी इकाईयों की प्रगति निम्न प्रकार है:–

वर्ष	उत्पादन (लाख रू. में)	रोजगार संख्या (अतिरिक्त)
2013—14	4139.32	3666
2014—15	4187.49	3956
2015—16 (दिसम्बर 2015 तक)	2847.32	1795

पी.एम.ई.जी.पी. योजना का वर्ष 2014—15 का जिलेवार उत्पादन एवं रोजगार का विवरण सलंग्न सारणी संख्या 3 में है।

ग्रामोद्योग कलस्टर :

वर्ष 2013—14 में मैसर्स प्रकाश ऑयल मिल, ग्राम सलेमपुर खुर्द, भरतपुर को तेल उद्योग में कलस्टर अध्याधीन कॉमन फैसलिटी सेन्टर की स्थापना हेतु राशि रू. 60.00 लाख स्वीकृत कर नोडल वित्त पोषित इकाई को वर्ष 2013—14 में राशि रू. 45.19 लाख व वर्ष 2014—15 में राशि रू. 14.81 लाख रू. उपलब्ध कराये गये।

बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम/अनुसूचित जाति कम्पोनेन्ट प्लान :—

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गत वर्ष में ग्रामोद्योगों में निर्धारित इकाई लक्ष्यों की तुलना में निम्न प्रकार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई :—

वर्ष	इकाईयां (संख्या में)	
	लक्ष्यांक	उपलब्धि
2013—2014	137	76
2014—2015	128	99
2015—2016 (दिसम्बर, 15 तक)	102	29

वर्ष 2014—2015 की जिलेवार सूचना सारणी संख्या 2 सलंग्न है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रम :—

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाडा, प्रतापगढ़ व सिरोही जिलो के जनजाति क्षेत्रों के अन्तर्गत इकाईयों को विशेष आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा

रही है। गत वर्ष में इन क्षेत्रों के अन्तर्गत लाभान्वित इकाईयों की संख्या तथा रखे गये लक्ष्यों की तुलना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	इकाईयां (संख्या में)	
	लक्ष्यांक	उपलब्धि
2013–2014	100	60
2014–2015	214	173
2015–2016 (दिसम्बर, 15 तक)	94	29

आयोजना व आयोजना भिन्न बजट :–

राज्य योजना के अंर्तगत बोर्ड द्वारा मार्केटिंग डवलपमेंट असिसटेन्स, प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, कम्प्यूटराईजेशन ऑफ बोर्ड एण्ड सेन्टर्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ बोर्ड आफिसर्स एण्ड एम्पलोयिज एवं खादी एक नई पहल योजना एवं बोर्ड के व्यवसायिक केन्द्रो का सुदृढ़ीकरण आदि का संचालन किया जा रहा है। आयोजना भिन्न बजट के अंर्तगत खादी की बिक्री पर रिबेट एवं प्रशासनिक व्यय हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। गत वर्ष में आयोजना एवं आयोजना भिन्न बजट प्रावधान व व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

(लाख रु.)

वर्ष	आयोजना		आयोजना भिन्न	
	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
2013–2014	2681.01	2401.19	3139.00	3056.58
2014–2015	747.27	566.43	3145.00	3091.38
2015–2016 (दिसम्बर, 15 तक व्यय)	501.81	150.74	2728.00	1337.51

इस प्रकार राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में अपने कार्यक्रमों के माध्यमों से राज्य के ग्रामीण अंचलों में बसे हुए ग्रामीणजन की बेरोजगारी एवं अर्द्ध बेरोजगारी दूर करने के लिये उन्हें अपने ही घर में सम्मानपूर्वक रोजगार उपलब्ध कराने एवं समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाकर आर्थिक विषमता के निवारण हेतु सत्त प्रयत्नशील है।

वर्ष 2015–2016 के लक्ष्यांक एवं उपलब्धि (दिसम्बर 15 तक)

क्र.सं.	मद / विवरण		वार्षिक लक्ष्यांक	उपलब्धि
1.	खादी उत्पादन (करोड रू. में)			
	1.1	ऊनी खादी	18.02	6.48
	1.2	सूती खादी	33.56	17.87
		योग :–	**51.58**	**34.35**
2.	रोजगार (संख्या)			
	अ.	खादी (स्तर)	13450	7624
	ब.	ग्रामोद्योग(पी.एम.ई.जी.पी.)(अतिरिक्त)	6312	1795
		योग :–	**19762**	**9419**
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम				
3.	ग्रामोद्योगों में स्वीकृत अतिरिक्त इकाईयां (संख्या)			
	अ.	कुल इकाईयों की संख्या	789	327
	ब.	कुल इकाईयों में से बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 11 'अ' के अन्तर्गत	102	29
	स.	कुल में से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के अन्तर्गत स्वीकृत इकाईयों की संख्या	94	29
5.	राज्य योजनान्तर्गत बजट प्रावधान (लाख रू.)		स्वीकृत प्रावधान	व्यय
	अ.	आयोजना बजट	501.81	150.74
	ब.	आयोजना भिन्न बजट	2728.00	1337.51

राज्य मे खादी का जिलेवार उत्पादन एवं रोजगार, वर्ष 2014–15							
क्र.	जिला	उत्पादन मूल्य (लाख रू. में)			रोजगार (संख्या)		
		ऊनी खादी	सूती खादी	योग	ऊनी खादी	सूती खादी	योग
1	अजमेर	44.63	163.81	208.44	188	813	1,001
2	अलवर	-	73.20	73.20	-	398	398
3	बांसवाडा	-	22.05	22.05	-	256	256
4	बाड़मेर	39.35	1.69	41.04	564	45	609
5	भरतपुर	16.04	250.09	266.13	139	1,433	1,572
6	भीलवाड़ा	45.69	93.96	139.65	210	445	655
7	बीकानेर	859.13	306.70	1,165.83	3,173	1,187	4,360
8	बून्दी	-	-	-	-	-	-
9	बांरा	-	-	-	-	-	-
10	चित्तौड़	1.43	16.63	18.06	1	200	201
11	चूरू	132.42	44.61	177.03	301	118	419
12	धौलपुर	-	15.11	15.11	-	142	142
13	डूंगरपुर	-	22.54	22.54	-	58	58
14	दौसा	20.90	660.19	681.09	36	1,881	1,917
15	गंगानगर	2.36	15.48	17.84	3	139	142
16	जयपुर	423.01	795.65	1,218.66	637	2,408	3,045
17	जैसलमेर	168.57	-	168.57	1,193	-	1,193
18	जालौर	-	-	-	30	2	32
19	झालावाड़	-	-	-	-	-	-
20	झुन्झुनू	-	38.93	38.93	-	185	185
21	जोधपुर	6.30	4.35	10.65	20	63	83
22	कोटा	8.00	55.16	63.16	5	190	195
23	नागौर	25.21	58.31	83.52	343	714	1,057
24	पाली	-	33.47	33.47	1	115	116
25	राजसमन्द	1.57	29.78	31.35	6	192	198
26	स.माधोपुर	8.72	18.24	26.96	8	206	214
27	सीकर	3.00	22.11	25.11	9	102	111
28	सिरोही	-	-	-	-	16	16
29	टौंक	19.82	84.50	104.32	18	770	788
30	उदयपुर	4.75	67.57	72.32	-	533	533
31	हनुमानगढ़	-	-	-	-	-	-
32	करौली	13.55	27.21	40.76	20	342	362
33	प्रतापगढ़	-	24.15	24.15	-	82	82
	योग	**1,844.45**	**2,945.49**	**4,789.94**	**6,905**	**13,035**	**19,940**

सारणी संख्या - 1(अ)

राज्य मे खादी का जिलेवार उत्पादन एवं रोजगार, वर्ष 2015–16 (दिस.15 तक)

क्र.	जिला	उत्पादन मूल्य (लाख रू. में)			रोजगार (संख्या)
		ऊनी खादी	सूती खादी	योग	
1	अजमेर	29.37	117.61	**146.98**	698
2	अलवर	-	47.46	**47.46**	389
3	बांसवाडा	-	67.49	**67.49**	70
4	बाड़मेर	9.44	-	**9.44**	30
5	भरतपुर	2.00	61.00	**63.00**	70
6	भीलवाड़ा	26.54	64.71	**91.25**	523
7	बीकानेर	144.61	38.42	**183.03**	954
8	बून्दी	-	-	**-**	-
9	बांरा	-	-	**-**	-
10	चित्तौड़	-	11.96	**11.96**	52
11	चूरू	-	-	**-**	-
12	धौलपुर	-	19.99	**19.99**	50
13	डूंगरपुर	-	2.40	**2.40**	60
14	दौसा	8.02	445.47	**453.49**	1,111
15	गंगानगर	-	-	**-**	-
16	जयपुर	258.00	519.45	**777.45**	1,430
17	जैसलमेर	148.99	-	**148.99**	1,016
18	जालौर	-	-	**-**	2
19	झालावाड़	-	-	**-**	-
20	झुन्झुनू	-	24.78	**24.78**	121
21	जोधपुर	3.60	-	**3.60**	65
22	कोटा	2.83	32.58	**35.41**	199
23	नागौर	5.37	36.30	**41.67**	150
24	पाली	-	30.81	**30.81**	107
25	राजसमन्द	-	20.04	**20.04**	56
26	स.माधोपुर	-	25.00	**25.00**	60
27	सीकर	-	71.07	**71.07**	95
28	सिरोही	-	-	**-**	1
29	टौंक	-	11.81	**11.81**	99
30	उदयपुर	3.87	71.91	**75.78**	106
31	हनुमानगढ़	-	-	**-**	-
32	करौली	5.00	51.00	**56.00**	50
33	प्रतापगढ़	-	16.00	**16.00**	60
	योग	**647.64**	**1,787.26**	**2,434.90**	**7,624**

सारणी संख्या - 2

2014–2015 में ग्रामोद्योग में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में इकाइयों को सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्यांक एवं प्रगति संख्या

(संख्या में)

क्र.	जिला	कुल इकाईयां लक्ष्यांक	मार्जिन मनी लक्ष्यांक (राशि लाख रु. में)	माह मार्च 2015 तक स्वीकृत इकाईयां	माह मार्च 2015 तक स्वीकृत मा.मनी (लाख रु.)	बीस सूत्रीय कार्यक्रम में सूत्र संख्या 11 (अ) के अर्न्तगत कुल इकाईयो में से अनुसूचित जाति की इकाईयां	
						इकाई लक्ष्यांक	मार्च 15 तक स्वीकृत इकाईयां
1	अजमेर	26	33.67	3	7.58	3	1
2	अलवर	40	52.04	17	22.57	5	6
3	बांसवाड़ा	50	65.02	40	84.52	5	4
4	बाड़मेर	62	80.89	60	95.42	5	9
5	भरतपुर	43	56.56	13	17.04	5	3
6	भीलवाड़ा	30	39.06	14	34.11	3	2
7	बीकानेर	22	29.02	8	33.92	2	2
8	बून्दी	32	41.42	24	19.79	3	3
9	बारां	41	54.06	21	35.26	4	4
10	चित्तौड़गढ़	45	58.97	33	98.18	5	3
11	चूरू	43	55.45	21	41.47	5	6
12	धौलपुर	30	39.47	12	8.18	3	2
13	डूंगरपुर	54	70.14	50	100.85	5	5
14	दौसा	22	29.34	13	10.05	3	2
15	श्री गंगानगर	20	25.72	15	19.48	2	1
16	जयपुर	42	54.92	17	69.32	5	4
17	जैसलमेर	35	45.45	21	26.94	4	4
18	जालौर	37	48.42	11	9.85	4	1
19	झालावाड़	47	61.10	17	58.44	5	2
20	झुन्झुनू	18	23.99	12	15.46	2	2
21	जोधपुर	31	42.72	15	47.11	3	4
22	कोटा	17	21.24	20	30.98	3	2
23	नागौर	61	80.34	24	65.75	5	1
24	पाली	21	26.95	10	25.74	3	1
25	राजसमद	17	22.00	24	57.17	1	5
26	सवाईमाधोपुर	46	59.51	25	45.82	4	1
27	सीकर	48	63.40	7	28.30	5	2
28	सिरोही	46	60.32	26	33.31	5	2
29	टोंक	41	53.32	18	20.21	5	1
30	उदयपुर	36	52.20	38	35.13	5	9
31	हनुमानगढ़	17	23.26	11	17.49	2	3
32	करौली	46	60.58	17	34.47	5	-
33	प्रतापगढ	37	48.44	29	49.41	4	2
योग		**1203**	**1578.99**	**686**	**1299.32**	**128**	**99**

सारणी संख्या - 2(अ)

2015–2016 (दिसम्बर 2015 तक) में ग्रामोद्योग में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में इकाइयों को सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्यांक एवं प्रगति संख्या

(संख्या में)

क्र.	जिला	कुल इकाईयां लक्ष्यांक	मार्जिन मनी लक्ष्यांक (राशि लाख रु. में)	माह दिसम्बर 2015 तक स्वीकृत इकाईयां	माह दिस. 2015 तक स्वीकृत मा.मनी (लाख रु.)	बीस सूत्रीय कार्यक्रम में सूत्र संख्या 11 (अ) के अन्तर्गत कुल इकाईयो में से अनुसूचित जाति की इकाईयां	
						इकाई लक्ष्यांक	दिस. 15 तक स्वीकृत इकाईयां
1	अजमेर	23	46.00	5	3.79	3	1
2	अलवर	23	46.00	9	9.26	3	2
3	बांसवाड़ा	28	56.00	16	28.32	4	1
4	बाड़मेर	28	56.00	21	35.28	4	-
5	भरतपुर	23	46.00	10	12.14	3	1
6	भीलवाड़ा	23	46.00	6	25.90	3	-
7	बीकानेर	23	46.00	1	8.12	3	-
8	बून्दी	23	46.00	8	5.21	3	-
9	बारां	23	46.00	11	9.91	3	1
10	चित्तौड़गढ़	28	56.00	12	37.46	3	-
11	चूरू	23	46.00	9	10.39	3	2
12	धौलपुर	23	46.00	6	4.51	3	-
13	डूंगरपुर	28	56.00	22	41.21	4	2
14	दौसा	23	46.00	13	15.91	3	1
15	श्री गंगानगर	23	46.00	3	2.62	3	-
16	जयपुर	25	50.00	7	25.05	3	2
17	जैसलमेर	23	46.00	10	17.42	3	1
18	जालौर	23	46.00	7	7.13	3	2
19	झालावाड़	23	46.00	4	12.30	3	-
20	झुन्झुनू	23	46.00	6	13.30	3	-
21	जोधपुर	23	46.00	5	3.85	3	-
22	कोटा	23	46.00	15	16.31	3	3
23	नागौर	28	56.00	16	46.66	3	3
24	पाली	23	46.00	7	1.58	3	-
25	राजसमद	23	46.00	6	11.62	3	-
26	सवाईमाधोपुर	23	46.00	19	22.59	3	1
27	सीकर	23	46.00	7	19.04	3	2
28	सिरोही	23	46.00	7	14.52	3	1
29	टोंक	23	46.00	8	5.90	3	1
30	उदयपुर	26	52.00	29	24.90	3	1
31	हनुमानगढ़	23	46.00	1	4.59	3	-
32	करौली	23	46.00	16	32.02	3	1
33	प्रतापगढ	23	46.00	5	5.07	3	-
योग		**789**	**1578.00**	**327**	**533.88**	**102**	**29**

सारणी संख्या –3

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जिलेवार ग्रामोद्योगी उत्पादन एवं रोजगार, वर्ष 2014–15

क्र.सं.	जिला	उत्पादन मूल्य (लाख रू.में)	रोजगार संख्या
1	अजमेर	32.48	18
2	अलवर	70.18	83
3	बांसवाड़ा	248.79	210
4	बाड़मेर	233.93	295
5	भरतपुर	28.80	55
6	भीलवाड़ा	123.16	98
7	बीकानेर	156.63	93
8	बून्दी	51.96	88
9	बारां	106.50	98
10	चित्तौड़गढ़	321.20	284
11	चूरू	178.54	140
12	धौलपुर	36.90	43
13	डूंगरपुर	283.00	248
14	दौसा	17.25	36
15	श्री गंगानगर	71.57	59
16	जयपुर	264.26	177
17	जैसलमेर	93.29	80
18	जालौर	39.47	27
19	झालावाड़	213.26	191
20	झुन्झुनू	46.92	34
21	जोधपुर	199.32	130
22	कोटा	111.77	115
23	नागौर	263.06	191
24	पाली	102.84	66
25	राजसमद	151.98	155
26	सवाईमाधोपुर	119.17	151
27	सीकर	102.38	56
28	सिरोही	107.61	157
29	टोंक	53.09	70
30	उदयपुर	69.23	168
31	हनुमानगढ़	70.95	93
32	करौली	110.45	103
33	प्रतापगढ	107.55	144
	योग	**4187.49**	**3956**

सारणी संख्या –3(अ)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में जिलेवार ग्रामोद्योगी उत्पादन एवं रोजगार, वर्ष 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक)

क्र.सं.	जिला	प्रस्तावित उत्पादन(लाख रू.में)	रोजगार संख्या
1	अजमेर	20.20	14
2	अलवर	49.36	34
3	बांसवाड़ा	134.96	79
4	बाड़मेर	188.05	165
5	भरतपुर	64.71	45
6	भीलवाड़ा	138.05	60
7	बीकानेर	43.28	18
8	बून्दी	27.77	20
9	बारां	52.82	42
10	चित्तौड़गढ़	200.15	96
11	चूरू	55.38	39
12	धौलपुर	24.04	18
13	डूंगरपुर	219.17	121
14	दौसा	84.80	74
15	श्री गंगानगर	13.97	7
16	जयपुर	133.52	68
17	जैसलमेर	92.85	60
18	जालौर	38.00	33
19	झालावाड़	65.56	30
20	झुन्झुनू	70.89	22
21	जोधपुर	20.52	10
22	कोटा	86.94	78
23	नागौर	248.70	146
24	पाली	8.43	9
25	राजसमद	61.94	62
26	सवाईमाधोपुर	120.41	70
27	सीकर	101.49	44
28	सिरोही	77.40	44
29	टोंक	31.45	15
30	उदयपुर	132.72	137
31	हनुमानगढ़	24.47	17
32	करौली	170.67	103
33	प्रतापगढ	44.65	15
	योग	**2,847.32**	**1,795**